

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय)  
जी-7, सेक्टर - 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

दिनांक : 21<sup>st</sup> October 2021

विषय: शैक्षणिक परामर्शदाताओं को अल्पावधि अनुबंध के आधार पर नियुक्त करना

## प्रत्यक्ष साक्षात्कार

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय, छ: महीने की अवधि के लिए अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर शैक्षणिक परामर्शदाताओं के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित कर रही है। पद के लिए पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तें नीचे उल्लिखित हैं: -

### शैक्षणिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति

#### पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तें का विवरण

1.	पद का नाम	शैक्षणिक परामर्शदाता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, सेक्टर 10, द्वारका, नई-दिल्ली-110075
2.	पद की संख्या	05 (पांच)
3.	परामर्श की अवधि	अल्पावधि संविदा आधार- 6 माह।
4.	आयु-सीमा	विज्ञापन की तिथि को परामर्शदाता की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
5.	योग्यता/आवश्यक मानदंड	<b>अनिवार्य</b> यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू/सांविधिक या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों, शैक्षणिक संस्थानों आदि से अनुसंधान/प्रशिक्षण में 3 साल का अनुभव। <b>वांछित</b> <ul style="list-style-type: none"><li>किसी भी विषय में पीएच.डी डिग्री</li><li>अध्यापक पात्रता परीक्षा/संस्थागत और संकाय डेटाबेस विकास/पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम डिजाइन/ओडीएल और ई-संसाधन/संस्थानों या कार्यक्रमों के प्रत्यायन के परियोजना क्षेत्रों में अनुभव।</li><li>कंप्यूटर अनुप्रयोगों, एमएस ऑफिस, डेटा विश्लेषण और पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि का ज्ञान।</li></ul>
6.	पारिश्रमिक और पात्रता	<ul style="list-style-type: none"><li>परामर्शदाता को मासिक समेकित पारिश्रमिक रु. 55,000-75,000/- प्रति माह दिया जाएगा।</li><li>कोई महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता स्वीकार्य नहीं है।</li><li>यदि ड्यूटी के अनुसार देश में बाहर का दौरा किया जाता है, तो परामर्शदाता को टीए/डीए और होटल आवास का भुगतान केंद्र सरकार के समकक्ष स्तर और रैंक के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य भत्तों के अनुसार किया जाएगा।</li></ul>
7.	ड्यूटीयों की प्रकृति	<ol style="list-style-type: none"><li>एक वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या तैयार कराना।</li><li>दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या तैयार कराना।</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम पाठ्यक्रम</li> <li>4. अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (एनसीएफटीई)</li> <li>5. टीईटी दिशानिर्देश</li> <li>6. एनईपी 2020 में अनिवार्य प्रावधान के अनुसार विशिष्ट विवांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पाठ्यक्रम में सुगम्यता को शामिल करना।</li> <li>7. अध्यापक के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी)</li> <li>8. राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम)</li> <li>9. पीएसएसबी</li> <li>10. एनसीटीई द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</li> </ol>
--	---

शैक्षणिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए तौर-तरीके और सेवा शर्तें (टीओआर):

#### 1. शैक्षणिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए सामान्य शर्तें:

- परामर्शदाता को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि के लिए कार्य पर लगाया जाएगा।
- निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- किसी व्यक्ति की नियुक्ति का परामर्शदाता के रूप में प्रारंभिक कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने का होगा। 6 माह के बाद के विस्तार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवश्यकता के आधार पर और प्रदर्शन के आधार पर विचार किया जाएगा।
- परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी। पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त परामर्शदाता को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में नियुक्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी घोषणा या दी गई जानकारी गलत साबित होती है या यदि उम्मीदवार ने जानबूझ कर किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है, तो वह किसी भी प्रशासनिक और/या कानूनी कार्रवाई के अलावा सेवा समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि एनसीटीई ठीक समझे, कर सकती है।

#### 2. चयन की प्रक्रिया :

अभ्यर्थी का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एनसीटीई के पास आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित है।

#### 3. हितों का विवाद:

परामर्शदाता से एनसीटीई और भारत सरकार के सभी नियमों और विनियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाएगी, जैसा कि इसके अपने अधिकारियों के लिए लागू है और हितों के विवाद की किसी भी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। उनसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अत्यधिक सत्यनिष्ठा, कार्यालय के मामलों की गोपनीयता और ईमानदारी का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि परामर्शदाता की सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है या एनसीटीई या सरकार के हितों के विपरीत पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

#### 4. परामर्शदाताओं की पात्रता:

- i. परामर्शदाता को योग्यता और अनुभव के आधार पर 55,000 – 75,000/- रुपये मासिक का समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। कोई महंगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता स्वीकार्य नहीं है।
- ii. परामर्शदाता यथानुपात आधार पर प्रति माह 1 दिन की छह घण्टे के हकदार होंगे।

#### 5. सेवा समाप्ति सूचना:

- i. परामर्शदाता द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के साथ निष्पादित अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन को अनुबंध के तहत की गई नियुक्ति की समाप्ति हेतु पर्याप्त आधार माना जाएगा और परिषद आगे ऐसे शैक्षणिक परामर्शदाता को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में भविष्य की नियुक्ति से वंचित कर सकती है।
- ii. उपरोक्त में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और/या अकादमिक परामर्शदाता एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।
- iii. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बिना कोई कारण बताए किसी भी समय परामर्शदाता की नियुक्ति को रद्द कर सकती है। हालांकि, सामान्य तौर पर परामर्शदाता को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा।

#### 6. छूट:

असाधारण परिस्थितियों में और मेधावी उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उपरोक्त दिशानिर्देशों में ढील दी जा सकती है।

## 7. सत्यापनः

परामर्शदाताओं का पुलिस सत्यापन भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार प्रत्यक्ष साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जी -7, सेक्टर -10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में 09 नवंबर 2021 को सुबह 10.00 बजे संलग्न प्रपत्र में आवेदन के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अनुलग्नक -2 के अनुसार सभी शैक्षिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रति साथ में संलग्न होनी चाहिए।

उपसचिव (प्रशासन)  
एनसीटीई, नई दिल्ली

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के लिए अनुबंध के आधार पर शैक्षणिक परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रपत्र

यहाँ अपना पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करें

- |    |   |
|----|---|
| 1. | नाम :   |
| 2. | जन्म तिथि :   |
|    | (कृपया भैट्रिक प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :                 |
| 3. | आवेदन की तिथि को आयुः :   |
| 4. | लिंग :  |
| 5. | पता :   |
| 6. | वर्गः :   |
| 7. | फोन नंबर :  |
| 8. | ई-मेल आईडी :  |
| 9. | शैक्षिक योग्यता (यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है तो कृपया एक अलग शीट संलग्न करें) |

क्र.सं.	डिग्री / डिप्लोमा / सर्टिफिकेट	विश्वविद्यालय / बोर्ड	उत्तीर्ण करने का वर्षः	प्रतिशत अंक/श्रेणी / ग्रेड

नोटः कृपया सीनियर सेकेंडरी से तथा आगे की योग्यता का विवरण भरें

10. कालानुक्रमिक क्रम में रोजगार का विवरण (यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है तो कृपया एक अलग शीट संलग्न करें)

क्र.सं.	कार्यालय / संस्थान	धारित पद	से	तक	की गई ड्यूटियों की प्रकृति

11. अब आहरित/अंतिम आहरित प्रति माह कुल परिलक्षियां:

वेतन स्तर में मूल वेतन (नियमित सरकारी कर्मचारी)	कुल परिलक्षियां (गैर-सरकारी कर्मचारी)

12. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई होः

- (क) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता  
(सामान्य डिग्री और पीएच.डी से ऊपर की डिग्री के अलावा)
- (i)
  - (ii)
  - (iii)
  - (iv)
  - (v)

(ख) लिया गया व्यावसायिक प्रशिक्षण:

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

**13. उपलब्धियां:**

(क) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(ख) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथपुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशस्ति संबद्धता

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

(ग) पेटेंट स्वयं के नाम पर पंजीकृत या संगठन के लिए हासिल किया गया

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv)
- (v)

दिनांक :

स्थान :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

**घोषणा**

मैं \_\_\_\_\_ एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी सही और पूर्ण है। मैं, \_\_\_\_\_ यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने विज्ञापन के साथ संलग्न राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के लिए शैक्षणिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अनुबंध -1 में पढ़ लिया गया है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

दिनांक :

स्थान :